टर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

संख्याः सम्पत्ति/का.अ./2013/145
दिनांकः 30 जनवरी, 2013

कार्यालय आदेश

पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या ग्रे.नो./प्रापर्टी/2008/1003 दिनांक 12.08.2008 को अवक्रमित करते हुए, प्राधिकरण की 94वीं बोर्ड बैठक दिनांक 11 जनवरी 2013 (एजेण्डा मद संख्या 16) में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/सहकारी आवास समितियों के माध्यम से आबंटित आवासीय भूखण्डों पर लीजडीड/निर्माण हेतु अधिकतम 04 वर्ष की निःशुल्क समयवृद्धि निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुमन्य की जाएगी--

1. आबंटी/आबंटी की पत्नी तथा आश्रित पारिवारिक सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।

2. आबंटी/आबंटी की पत्नी तथा आश्रित पारिवारिक सदस्य की लम्बी अवधि तक बीमार रहने पर अथवा निम्नलिखित गम्भीर बीमारी होने की दशा में ही recognized hospital का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर तथा इस प्रमाण-पत्र पर संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित (counter sign) होने पर ही निःशुल्क समयवृद्धि अनुमन्य की जाएगी।

    1. कैंसर, या
    2. हार्ट अटैक अथवा हार्ट की बाईपास सर्जरी या,
    3. किसी अंग का प्रत्यारोपण या
    4. ब्रेन हेमरेज या
    5. 80% से अधिक की विकलांगता।

3. सरकारी सेवक के साथ-साथ, यदि भूखण्ड उनकी पत्नी/आश्रित पारिवारिक सदस्य के नाम पर हो एवं सरकारी सेवक को समय पर ऋण प्राप्त न हो रहा हो।

उपरोक्त बिन्दु 1, 2 व 3 में वर्णित "आश्रित पारिवारिक सदस्य" में केवल पति/पत्नी, आश्रित बच्चे एवं आबंटी (पति/पत्नी) के आश्रित माता/पिता ही सम्मिलित होंगे।

4. सेना/अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी अथवा ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी जो संवेदशील स्थान पर तैनाती के कारण भवन निर्धारित समयान्तर्गत नहीं करा सके हों।

5. आबंटी के लम्बी अवधि तक विदेश में रहने पर जितनी अवधि तक आबंटी के प्रवास/तैनाती विदेश में रही है उतनी ही अवधि का समय विस्तरण अनुमन्य किया जाएगा। ***यदि आबंटी सरकारी सेवक है और भूखण्ड उनके या उनके आश्रित पारिवारिक सदस्य के नाम है तो विदेश में तैनाती/प्रवास की सम्पूर्ण अवधि का समय विस्तरण बिना विलम्ब शुल्क के अनुमन्य होगा।*** विदेश में प्रवास/तैनाती का प्रमाण-पत्र आबंटी द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

6. उपरोक्त अंकित श्रेणियाँ illustrative हैं। इसके अतिरिक्त अन्य compassionate grounds, जो समरूप हो, अथवा ऐसे किसी प्रकरण मे जिसमें सामान्य प्रक्रिया के अनुपालन में extreme hardship हो रही हो, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष सम्पूर्ण तथ्य एवं साक्ष्य के साथ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(रमा रमण)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. स्टॉफ ऑफिसर, को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
3. विशेष कार्याधिकारी
4. समस्त महाप्रबन्धक (वित्त/नियोजन/प्रोजेक्ट्स)
5. गार्ड फाईल।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी